"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2008—अग्रहायण 14, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दीनदयाल पटेल आत्मज श्री तुलाराम पटेल, आयु 39 वर्ष, निवासी सड़क नं. 26, क्वाटर नं. 8-ए, नंदिनी नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. पिंकी पटेल का नाम परिवर्तित कर कु. दीप्ति पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. दीप्ति पटेल आत्मजा श्री दीनदयाल पटेल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. पिंकी पटेल आत्मजा श्री दीनदयाल पटेल निवासी-सड़क नं. 26 क्वाटर नं. 8-ए, नंदिनी नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कु. दीप्ति पटेल आत्मजा श्री दीनदयाल पटेल निवासी-सड़क नं. 26 क्वाटर नं. 8-ए, नंदिनी नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बहोरन लाल साहू आत्मज स्व. शेरवा राम साहू , निवासी क्वाटर नं. 12-जी, सड़क 79, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. मोनिका साहू उर्फ मोनिका उजाला का नाम परिवर्तित कर कुमारी मोनिका साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हू.

अत: अब मेरी पुत्री को कुमारी मोनिका साहू आत्मजा श्री बहोरन लाल साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कुमारी मोनिका साहू उर्फ मोनिका उजाला
आत्मजा श्री बहोरन लाल साहू
निवासी-क्वाटर नं. 12-जी, सड़क नं. 79
सेक्टर 6, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
कुमारी मोनिका साहू
आत्मजा श्री बहोरन लाल साहू
निवासी-क्वाटर नं. 12-जी, सड़क नं. 79
सेक्टर 6, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बहोरन लाल साहू आत्मज स्व. शेरवा राम साहू , निवासी क्वाटर नं. 12-जी, सड़क 79, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कुमारी सुप्रिया साहू उर्फ सुप्रिया उजाला का नाम परिवर्तित कर कुमारी सुप्रिया साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कुमारी सुप्रिया साहू आत्मजा श्री बहोरन लाल साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कुमारी सुप्रिया साहू उर्फ सुप्रिया उजाला
आत्मजा श्री बहोरन लाल साहू
निवासी-क्वाटर नं. 12-जी, सड़क नं. 79
सेक्टर 6, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
कुमारी सुप्रिया साहू
आत्मजा श्री बहोरन लाल साहू
निवासी-क्वाटर नं. 12-जी, सड़क नं. 79
सेक्टर 6, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं किशोर कुमार शर्मा आत्मज स्व. बद्री विशाल शर्मा, आयु 38 वर्ष, निवासी सड़क 25, क्वाटर नं. 8-बी, नंदिनी नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर किशोर कुमार पाण्डेय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे किशोर कुमार पाण्डेय आत्मज स्व. बद्री विशाल शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
किशोर कुमार शर्मा
आत्मज स्व. बद्री विशाल शर्मा
निवासी-सड़क 25, क्वाटर नं. 8-बी
नंदिनी नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
किशोर कुमार पाण्डेय
आत्मज स्व. बद्री विशाल शर्मा
निवासी-सड़क 25, क्वाटर नं. 8-बी
नंदिनी नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

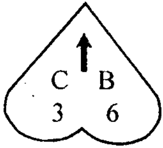
वन मण्डलाधिकारी, बस्तर (सा.) वन मण्डल, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2008

क्रमांक /688.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी, बकावण्ड (सा.) के अन्तर्गत बीट हैमर नलपावण्ड परिसर रक्षक श्री अर्जुन प्रसाद पानीग्राही द्वारा दिनांक 19-09-08 को कक्ष क्रमांक-1301 पी. का भ्रमण कर शाम को मुख्यालय नलपावण्ड वापस जाते समय मोटर साइकिल से हैमर कहीं अज्ञात स्थान पर गुम गया था. जिसे वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त हैमर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/629 दिनांक 30-09-08 द्वारा अपलेखित किया गया था.

परिक्षेत्र अधिकारी, बकावण्ड (सा.) के पत्र क्रमांक/बकावण्ड/1011 दिनांक 25-10-08 द्वारा वन मण्डल कार्यालय में सूचना दी गई है कि उक्त गुमशुदा हैमर C B-36 दिनांक 23-10-08 को ग्राम-कोसमी से तुंगापाल के बीच सड़क किनारे झाड़ी के बीच गिरा पड़ा मिला.

अत: उक्त आदेश क्रमांक/629 दिनांक 30-09-08 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा श्री अर्जुन प्रसाद पानीग्राही को उक्त लापरवाही हेतु चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.



मो. शाहिद,
वन मंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.